मूलवाद 2024/068

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
हरमेश सिंह बनाम मखनसिंह व अन्य
विविध प्रार्थना संख्या 2024/051
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
05.11.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तरा द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थीगण के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि प्रशनगत आराजी चक 3 एफ बडा, पटवार हल्का कोनी, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सख्या 94/82 के मु.न. 3 की कुल 6.1990 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि को रहन, बैय एवं मुन्तकील करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाए रखें। उक्त निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद सीमाज्ञान, रास्ता, खाला, अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नही होगी। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 04.12.2024 को आकर पेश करें। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को पेश हो।	
04.12.24	अधिवक्ता वादी उफ। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को इसी स्टेट पर दायिल [illegible] निवेदन किया एवं [illegible] आदेशिका पर [illegible] वादी प्रकरण में [illegible] नही चाहता है अतः प्रकरण [illegible] स्तर पर खारिज किया जाता है फरावली नस्तीबद्ध हो पत्रावली दायर पंजिका के हम से कम की जाकर [illegible] की सूची में शामिल हो।	शपथ पत्र पत्रावली [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 10:57:33 IST
Reason: SelfAttested